

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 79/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि. कार्पोरेट कार्यालय 6, मंजिल, सुप्रीम बिजिनेस पार्क, सुप्रीम  
सिटी, पोवई मुम्बई । रजिस्टर्ड आफिस मेधा टॉवर तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307 नया नं. 165, पूनामल्ली  
हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, ब्रान्च आफिस पहली एवं दूसरी मंजिल केसर मॉल, 155 ए, टौक रोड,  
बापूनगर, ऐपेक्स माल के सामने, जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मोहम्मद अंसार खान पुत्र श्री जलालुद्दीन खान  
1. निवासी प्लॉट नं. 23 पार्वती नगर, बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर एवं  
2. एफ-132 एच-रोड, नं. 12, वी.के.आई.ए. जयपुर।
2. श्रीमती रईसा बेगम निवासी प्लॉट नं. 23 पार्वती नगर, बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. राजस्थान फाउण्डरी एफ-132, एच-रोड, नं. 12, वी.के.आई.ए. जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश

दिनांक 17-08-2020


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मोहम्मद अंसार खान पुत्र श्री जलालुद्दीन खान के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 23 पार्वती नगर, बेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 117.50 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 26,19,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवरी 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 26,19,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 26,81,952/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मोहम्मद अंसार खान पुत्र श्री जलालुद्दीन खान के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 23 पार्वती नगर, वेनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 117.50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 17.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला नजिस्ट्रेट  
किलबट्टर) जयपुर